

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

प्रथम तल, डॉ. बालमुकुंद शर्मा क्लीनिक, नगर निगम आयुर्वेदिक हास्पिटल के पास, कंकालीपारा, रायपुर -492001 (छ.ग.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393

www.cgmedicalcouncil.org

E-mail: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक/सीजीएमसी/निवो./2019/04

रायपुर, दिनांक :- 05/12/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल अधिनियम 1987 की धारा 4 (1)(क) के अंतर्गत मैं डॉ. सुरेन्द्र पाममोई, रिटर्निंग ऑफिसर, छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल कौंसिल द्वारा प्रदत्त पंजीकृत चिकित्सकों की सूची में से 5 (पांच) सदस्यों के निर्वाचन किये जाने की अधिसूचना जारी करता हूँ एवं निम्नलिखित दिनांक नियत करता हूँ :-

क्रं.	दिनांक	समय	निर्वाचन कार्य का विवरण	नियम	निर्वाचन कार्य का सम्पादित करने का स्थल
1	06.12.2019	प्रातः 11 बजे	धारा 4 (1)(क) के अंतर्गत अधिसूचना 1-1 का प्रकाशन	नियमानुसार	डॉ. सुरेन्द्र पाममोई, उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़
2	16.12.2019	अपरान्ह 3 बजे तक	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर)	नियम 14 के अनुसार	
3	19.12.2019	प्रातः 11 बजे से	प्राप्त नाम निर्देशन की संवीक्षा	नियम 15 के अनुसार	
4	24.12.2019	प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक	अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि एवं समय	नियम 15 (2) के अनुसार	
5	24.12.2019	अपरान्ह 5 बजे	अभ्यर्थिता वापस लेने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन	नियम 16-01 के अनुसार	
6	24.12.2019	अपरान्ह 5 के तत्काल बाद	अंतिम रूप से लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	नियम 18-01 के अनुसार	
7	08.01.2020	के पूर्व	निर्वाचकों को मत पत्र भेजने की अंतिम तिथि	नियम 18-01 के अनुसार	छ.ग. मेडिकल कौंसिल, प्रथम तल, डॉ. बालमुकुंद शर्मा क्लीनिक, नगर निगम आयुर्वेदिक हास्पिटल के पास, कंकालीपारा, रायपुर छ.ग. 492001
8	20.01.2020	अपरान्ह 5 बजे तक	निर्वाचकों से मतपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि	नियम 18-01 के अनुसार	
9	23.01.2020	प्रातः 11 बजे से	मतगणना कार्य एवं परिणामों की घोषणा	नियम 20-01 के अनुसार	पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर का सभागृह

नोट:-

- उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ रुपये 500/- (पांच सौ रुपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- मतदाता सूची का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल, रायपुर के कार्यालय में प्रथम तल, डॉ. बालमुकुंद शर्मा क्लीनिक, नगर निगम आयुर्वेदिक हास्पिटल के पास, कंकालीपारा, रायपुर तथा प्रत्येक जिले के कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशित करने हेतु भेजे गये है।

S. P. M. I.
(डॉ. सुरेन्द्र पाममोई) 5/12/19
रिटर्निंग ऑफिसर
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर